अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री पुष्कर नारायण बैरवा — श्री रमजान मौहम्मद 01	नम्बर व तारीख आदेश जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

कपूर बनाम सायरी वगैरह (2025/196)

01.07.2025

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश किया, जो शामिल मिसल हो। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति एवं धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 14.07.2025 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

14.07.2025

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 01.07.2025 को प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति बाबत निवेदन किया कि प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड की आदेशिका दिनांक 21.06.2021 के विरूद्ध अपील पेश की गई है जो मेंटेनेबल नही है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड की आदेशिका में विपक्षीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये है जो केवल सूचना मात्र है, जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील मेंटनेबल नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किये गये है। अतः प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपील मेंटेनेबल नहीं होने से खर्चे सहित खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति बाबत निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल है। अतः प्रारम्भिक आपत्ति खारिज की जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। अपील के मेंटेनेबल होने या नहीं होने के संबंध में हमने आर0बी0जे0 (28) 2021 पेज संख्या 222 एवं 2014(1) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 35 का ससम्मान अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश चाहे अंतरिम हो या अंतिम उसके विरूद्ध अपील पोषणीय है। अतः अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील हाजा न्यायालय में पोषणीय होने से रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति खारिज किया जाता है।

तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये है जो सदभाविक व संतोषजनक है। **अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

अंततः हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कपूर v/s सामरी

लगातार...

की प्रति एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/ प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 23.06.2021 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात प्रकरण में नियमित रूप से तारीख पेशीया दी जाती रही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण विधिक कार्यवाहीयां की जाकर अंतिम वहस हेतु नियत है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 2 सप्ताह में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner